न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2021/45

1. विजय सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बागावास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर। हाल निवासी 1765, बागावास हाउस, खजाने वालों का रास्ता, जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. अनीता पुत्री स्व. श्री मांगीलाल
2. सुनीता पुत्री स्व. श्री मांगीलाल
   समस्त जाति अहीर, निवासीयान यादवों की ढाणी, तन ग्राम कल्याणसर, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह कविया, आर. ए. एस. दिनांक 21/01/2021 पत्रावली क्रमांक 29/2019 उनवानी अनीता बनाम विजय सिंह वगै0 जिसके द्वारा उन्होनें नामान्तकरण संख्या 412 को खारिज किया।

उपस्थित–

1. श्री नरेश कुमार जैन, वकील अपीलान्ट
2. श्री बी.एम. गुर्जर, वकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक —13.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर के निर्णय दिनांक 21.01.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 412 आदेश दिनांक 19.06.2018 तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2018 की अनुपालना में कृषि भूमि राजस्व ग्राम कल्याणसर तहसील मौजमाबाद का अपीलान्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट–तृतीय जयपुर के के समक्ष अपील की गयी। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट–तृतीय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2021 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह निर्णय पारित किया गया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 19.06.2018 मैलाफाईड रूप से भरवाया गया है, प्रतिफल का भी भुगतान नहीं किया गया है, खारिज योग्य है। अतः खारिज किया जाता है, के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 21.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट विजय सिंह पुत्र स्व. श्री मांगीलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर के निर्णय दिनांक 21.01.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि कि ग्राम कल्याणसर, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 75/127 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/128 खसरा नम्बर 86 रकबा रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/3 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/5 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/8 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 1/6 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काश्ताकर है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपना विक्रय पत्र दिनांक जरिये रजिस्टर्ड भाग 1/6 /06/2018 को अपीलान्ट को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 19/06/2018 क्रेता अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर के समक्ष नामान्तकरण संख्या 412 आदेश दिनांक 19/06/2018 तहसीलदार (भू-अभिलेख) तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के विरूद्ध इस आशय के साथ पेश की कि दिनांक 01/06/2018 को अपीलार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणसर, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर की कुल किता 12, कुल रकबा 15 बीघा 15 स्वा का 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उप पंजीयक मौजमाबाद के यहाँ निष्पादित कर दिया था । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विक्रय पत्र की प्रतिफल की राशि जरिये चैक अदा की थी। उसने अपीलान्टस् को प्रतिफल 16,90,000 रूपये के छः चैकस् प्रदान किये थे। अपीलान्टस् को 3-3 चैक राशि क्रमशः 3,00,000-3,00,000 रूपये व 2,45,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 8,45,000 रूपये (प्रत्येक को) प्रदान किये थे । उक्त बैंकों में चैक संख्या 007632 लगायत 007634 अपीलान्ट संख्या 1 को व चैक संख्या 007635 लगायत 007637 अपीलान्ट संख्या 2 सुनीता को प्रदान किये थे । अपीलान्टस् ने उक्त चैकस् को भुगतान हेतु अपनी बैंक में प्रस्तुत किया परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में पर्यापत निधि नही होने के कारण 5 चैक्स अमर्यादित कर वापिस लौटा दिये गये और एक चैक संख्या 007634 राशि 2,45,000 रूपये का भुगतान अपीलान्ट संख्या । अनीता के बैंक खाते में हो गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दिये गये प्रतिफल राशि के बदले 16,90,000 रूपये में से 14,45,000 रूपये को भुगतान अपीलान्टस् को नही हुआ । विक्रय पत्र के प्रतिफल स्वरूप दी गई राशि के चैकों का भुगतान यदि विक्रेतागण को नही होता है तो वह विक्रय पत्र एब इनिशियों वॉयड की श्रेणी में आता है। इसलिए विक्रय पत्र की अनुपालना में खोला गया नामान्तकरण काबिले निरस्त है। विक्रय पत्र की कन्सिडरेशन राशि रेस्पेडेन्ट संख्या 1 ने जानबुझकर अदा नहीं की है, इसलिए वह अपने हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भरवाने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विक्रय पत्र के निष्पादित दिनांक को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि उसके खाते में विक्रय पत्र के प्रतिफल चैकों के भुगतान लायक राशि नही है। इस प्रकार रेस्पेडेन्ट संख्या 1 का मैलाफाईड इन्टेशन था और मात्र 18 दिनों पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से साज बाज होकर अपने हक में नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया है जबकि उक्त समस्त चैक दिनांक 06/08/2018 के थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पोस्ट डेटेड चैकों के भुगतान से पूर्व नामान्तकरण नही भरना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 412 को चुनौती दी गई थी यह नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया था। नामान्तकरण संख्या 412 को जिन कारणों के आधार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर निरस्त करने का आदेश का अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर ने दिया है वह उनके क्षेत्राधिकार में नही था प्रतिफल प्राप्त न होने के आधार पर विक्रय पत्र निरस्त नही किया जा सकता विक्रेता को केवल मात्र बकाया प्रतिफल को प्राप्त करने हेतु सिविल वाद या चैक अनादरित होने पर परक्राम्य लेखन पत्र अधिनियम में कार्यवाही करने का अधिकार है सुयोग्य अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर ने नामान्तकरण संख्या 412 का निरस्त करने में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन किया है जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय उनकी वैद्यता एवं अवैद्यता के बारे में विचार करने में सक्षम नही है यह क्षेत्राधिकार केवल व्यवहार न्यायालयों में निहित है विक्रय पत्र को विक्रय पत्र की श्रेणी में न मानकर नामान्तकरण को निरस्त करने में सुयोग्य अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर ने विधि के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। नामान्तकरण संख्या 412 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक हुआ है विक्रेता को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हुये नामान्तकरण को स्वयं चुनौती देने का अधिकार नही है और ना ही उसे इस नामान्तकरण पर आपत्ति करने का अधिकार है सुयोग्य अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर ने इस विधिक सिद्धान्त के विपरित जाकर नामान्तकरण संख्या 412 को निरस्त करने में अपनी क्षेत्राधिकार की सीमा का उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर निर्णय दिनांक 21/01/2021 निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 19/06/2018 को यथावत् रखे जानें के आदेश किये जावें।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस कें दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत किर निवेदन किया गया कि दिनांक 1–6–2018 को अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणसर तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर की कुल किता 12, कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा का 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उप पंजीयक मौजमाबाद के यहां निष्पादित कर दिया था । रैस्पॉडेन्ट संख्या 1 ने विक्रय पत्र की प्रतिफल राशि जरिये चैक अदा की थी। उसने अपीलान्ट्स को प्रतिफल 16,90,000 रुपये के छः चेक्स प्रदान किये थे। अपीलान्ट्स को 3–3 चैक राशि क्रमशः 3,00,000 – 3,00,000 रुपये व 2,45,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि 8,45,000 रुपये (प्रत्येक को) प्रदान किये थे। उक्त बैंको में चैक संख्या 007632 लगायत 007634 अपीलान्ट संख्या 1 को व चैक संख्या 007635 लगायत 007637 अपीलान्ट संख्या 2 सुनीता को प्रदान किये थे। अपीलान्ट्स ने उक्त चैक्स को भुगतान हेतु अपनी बैंक में प्रस्तुत किया परन्तु रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में पर्याप्त निधि नहीं होने के कारण 5 चैकस अमर्यादित कर वापिस लौटा दिये गये और एक चैक संख्या 007634 राशि 2,45,000 रुपयों का भुगतान अपीलान्ट संख्या 1 अनीता के बैंक खाते में हो गया। इस प्रकार रैस्पॉडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दिये गये प्रतिफल राशि के बदले 16,90,000 रुपये में से 14,45,000 रुपये को भुगतान अपीलान्ट्स को नहीं हुआ। विक्रय पत्र के प्रतिफल स्वरुप दी गई राशि के चैकों का भुगतान यदि विक्रेतागण को नहीं होता है तो वह विक्रय पत्र एब इनिशियो वॉयड की श्रेणी में आता है। इसलिये विक्रय पत्र की अनुपालना में खोला गया नामान्तरण काबिले निरस्त है। विक्रय पत्र की कन्सिडरेशन राशि अपीलान्ट संख्या 1 ने जानबूझकर अदा नहीं की है, इसलिये वह अपने हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भरवाने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में नामान्तरण खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय पत्र के निष्पादित दिनांक को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि उसके खाते में विक्रय पत्र के प्रतिफल चैकों के भुगतान लायक राशि नहीं है। इस प्रकार रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 का मैलॉफाईड इन्टेशन था और मात्र 18

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

दिनों पश्चात रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 से साज बाज होकर अपने हक में नामान्तरण तस्दीक करवा लिया है जब कि उक्त समस्त चैक दिनांक 6.8.2018 के थे। रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 को पोस्ट डेटेड बैंकों के भुगतान से पूर्व नामान्तरण नहीं भरना चाहिये था। ऐसी स्थिति में भी नामान्तरण संख्या 412 काबिले निरस्त योग्य है। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट–तृतीय जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2021 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह निर्णय पारित किया गया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 19.06.2018 मैलाफाईड रूप से भरवाया गया है, प्रतिफल का भी भुगतान नहीं किया गया है, खारिज योग्य है। अतः खारिज किया जाता है, के आदेश पारित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट–तृतीय जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट–तृतीय जयपुर द्वारा विक्रय पत्र में उल्लेखित प्रतिफल का पूर्ण भुगतान होना नहीं पाये जाने पर विवादित नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 19.06.2018 मैलाफाईड रूप से भरा पाये जाने पर खारिज किये जाने के विधिसम्मत निर्णय पारित किया गये है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं वकील उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद दिनांक 01.06.2018 को रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणसर तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर की कुल किता 12 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा का 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट विजय सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हनुमान सिंह के पक्ष में की गयी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.6.2018 के आधार पर विजय सिंह ने तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ने कृषि भूमि राजस्व ग्राम कल्याणसर तहसील मौजमाबाद का अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 19.06.2018 तस्दीक कर दिया गया को लेकर है। तहसीलदार (भू.अ.) तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 19.06.2018 से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट–तृतीय जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट–तृतीय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2021 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह निर्णय पारित किया गया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 19.06.2018 मैलाफाईड रूप से भरवाया गया है, प्रतिफल का भी भुगतान नहीं किया गया है, खारिज योग्य है। अतः खारिज किया जाता है, के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट–तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने दिनांक 1.6.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी थी। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को प्रतिफल 16,90,000 रूपये के छः चैक्स प्रदान किये थे। रेस्पोडेन्ट को 3–3 चैक राशि क्रमशः 3,00,000–3,00,000 रूपये व 2,45,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 8,45,000 रूपये (प्रत्येक को) प्रदान किये थे। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि रजिस्टर्ड सेलडीड में उपस्थित प्रतिफल का भुगतान जरिये चैक जो किया गया, उसमें 5 चैक डिसऑनर हो गये । अतः भूमि का विधिमान्य रूप से प्रतिफल का भुगतान विक्रेता को हुआ नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता अपीलान्ट का इसके खण्डन में केवल यह कहना है कि तकासमा करवाने पर भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन विक्रय पत्र में ऐसी कोई

राजस्व आयुक्त
जयपुर

दर्ज उपस्थित नहीं है। मौजूदा प्रकरण में यह निर्विवादित रूप से स्थापित हो गया है कि रजिस्टर्ड सेल डीड में उल्लिखित पूर्ण प्रतिफल का भुगतान वास्तविक रूप से रेस्पोडेन्ट विक्रेता को नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में क्रेता/अपीलान्ट अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में असफल हुआ है तथा अब भी उनका यह कहना है कि तकासमा करवाने पर प्रतिफल का भुगतान कर दिया जायेगा। जबकि तकासमा करवाने का उत्तरदायित्व विक्रेता का नहीं होता है। क्रेता क्रय के बाद विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपना तकासमा करवा सकता है। अपीलार्थी का यह कथन भी तथ्यों द्वारा प्रमाणित है कि विक्रय के महज 18 दिन बाद नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि चैक जो दिए गए, वे पोस्टडेटेड थे तथा 06.8.18 के थे जिनमें से 14,45,000/– राशि के चैक डिसऑनर हो गये। जिसका अपीलान्ट ने भी खण्डन नहीं किया है। अतः विक्रयपत्र में उल्लेखित प्रतिफल का पूर्ण भुगतान होना नहीं पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह विवादित नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 19.06.2018 मैलाफाईड रूप से भरवाया गया है, प्रतिफल का भी भुगतान नहीं किया गया है, खारिज किया गया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2021 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय जयपुर का निर्णय दिनांक 21.11.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर